तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न.40/2023 अनवान जेताराम बनाम हड़मानराम इत्यादि	नम्बर व तारीख, अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

05.09.2023

पत्रावली वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 22.08.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली को पेशी पर लिये जाने बाबत पर आज पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाने की प्रति वकील रेस्पो संख्या एक को पूर्व में दिलाई जा चुकी है। वकील रेस्पो. द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 2023/2089 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 की प्रति पेश की जो शामिल मिसल हो। तत्पश्चात उभय पक्ष को अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 2023/2089 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी खारिज कर परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी औसियां को उनके यहां विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए डेढ़ माह की अवधि में अनिवार्य रूप से निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये है तथा उभय पक्ष को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.08.2023 को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया है। माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत अपील सारहीन हो चुकी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली अदालत हाजा द्वारा तलब कर लिये जाने से विचारण न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही अवरूद्ध हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाने बाबत स्वीकार किया जाता है तथा अपील माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रदत निर्देशों के अनुसरण में सारहीन होने से इस आशय से निर्णित की जाकर उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21 सितंबर 2023 को उपस्थित रहे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

05.9.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर